

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
18.12.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3813 का उत्तर

तमिलनाडु में आरओबी और आरयूबी का निर्माण

3813. श्री मलैयारासन डी.:

श्री नवसकनी के.:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) तमिलनाडु में निर्माणाधीन और लंबित रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) और रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) की संख्या कितनी है;
- (ख) राज्य में आरओबी और आरयूबी के निर्माण के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि कितनी है;
- (ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु में आरओबी और आरयूबी के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है और इन्हें पूरा होने में कितना समय लगेगा;
- (घ) सरकार द्वारा बढ़ते यातायात की भीड़ को दूर करने के लिए आरओबी और आरयूबी के निर्माण में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;
- (ङ) दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात के सुचारु प्रवाह के लिए मौजूदा और निर्माणाधीन आरओबी और आरयूबी पर क्या सुरक्षा उपाय लागू किए गए/लागू किए जा रहे हैं; और
- (च) क्या सरकार ने उक्त राज्य में उच्च यातायात क्षेत्रों के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों में अतिरिक्त आरओबी और आरयूबी के निर्माण की योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पहचाने गए स्थान का ब्यौरा क्या है और अनुमोदन और पूरा होने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च) समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल के कार्यों को मंजूरी देना भारतीय रेल की एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है। ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है और

गाड़ी संचालन में संरक्षा, गाड़ियों की गतिशीलता और सड़क उपयोगकर्ताओं पर प्रभाव और व्यवहार्यता आदि के आधार पर शुरू किया जाता है।

2004-14 से 2014-24 की अवधि के दौरान भारतीय रेल पर निर्मित ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल की संख्या निम्नानुसार है:

| अवधि | निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुल |
|---------|-----------------------------|
| 2004-14 | 4,148 अदद |
| 2014-24 | 11,945 अदद (लगभग तीन गुना) |

01.04.2024 तक, भारतीय रेल पर 92692 करोड़ रुपये की लागत से 4200 ऊपरी/निचले सड़क पुल स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें तमिलनाडु राज्य में 5,108 करोड़ रुपये की लागत वाले 240 ऊपरी/निचले सड़क पुल शामिल हैं, जो निष्पादन और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

2019-24 (पिछले पांच वर्षों) के दौरान, तमिलनाडु राज्य में 2,895 करोड़ रुपये की लागत पर 264 ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल का निर्माण किया गया है।

रेलवे ने ऊपरी/निचले सड़क पुल के कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सामान्य व्यवस्था आरेखण को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित राज्य सरकार/सड़क स्वामित्व प्राधिकरण के साथ संयुक्त सर्वेक्षण किया जाता है।

(ii) ऊपरी/निचले सड़क पुल कार्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए रेलवे और राज्य सरकार के अधिकारियों की आवधिक बैठकें की जाती हैं।

(iii) डिजाइन अनुमोदन के दौरान होने वाली देरी से बचने के लिए रेलवे हिस्से पर सड़क के फैलाव, तिरछापन और चौड़ाई के विभिन्न संयोजनों के लिए अधिरचना रेखाचित्रों का मानकीकरण किया गया है। इसे एक सार-संग्रह के रूप में जारी किया गया है, जिसे त्वरित निष्पादन के लिए रेलवे लाइनों पर ऊपरी सड़क पुल का उपयोग किया जा सकता है।

(iv) जहाँ तक संभव हो, रेलवे द्वारा ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल कार्यों को एकल इकाई के आधार पर निष्पादित करने की योजना बनाई गई है। यदि कोई सड़क स्वामित्व प्राधिकरण/राज्य सरकार चाहे, तो रेलवे उन्हें एकल इकाई के आधार पर कार्य निष्पादित करने की अनुमति दे सकता है।

रेलवे ने ऊपरी/निचले सड़क पुल के निर्माण के लिए कई संरक्षा उपाय किए हैं। इसमें चौड़ाई के साथ उचित वाहन मार्ग, पहुंच मार्गों का उचित संरेखण और जहां भी संभव हो, पैदल पथ का प्रावधान शामिल है। इसके अलावा, ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल में आवश्यकतानुसार उचित सड़क सतह, मानक संकेत, संरक्षा बाड़, सड़क चिह्न, प्रकाश व्यवस्था और स्पीड ब्रेकर का प्रावधान भी किया गया है।

रेलवे ने भी जल जमाव की समस्या को कम करने के लिए कई उपचारात्मक उपाय किए हैं। नए ऊपरी सड़क पुल/सब-वे की योजना के अभिन्न अंग के रूप में जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। मौजूदा ऊपरी सड़क पुल/सब-वे में जल प्रवाह को पास के पुल और नालों/नालियों की ओर मोड़ना, पहुंच मार्गों पर कवर शेड का प्रावधान, निचले सड़क पुल में प्रवेश द्वार पर हंप का प्रावधान, क्रॉस ड्रेन का प्रावधान, ज्वाइन्ट्स की सीलिंग आदि जैसे उपचारात्मक उपाय व्यवहार्यता, उपयुक्तता और साइट की आवश्यकताओं के अनुसार किए गए हैं। इसके अलावा, चिन्हित किए गए ऊपरी सड़क पुल के लिए पंपिंग की व्यवस्था भी की गई है, ताकि आपातकालीन स्थिति में पानी को तेजी से बाहर निकाला जा सके और सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए असाधारण/असामान्य बारिश की स्थिति में सड़क यातायात को रोकने का प्रावधान है।

ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल कार्यों का पूरा होना और चालू होना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे समपार को बंद करने, पहुंच संरेखण को ठीक करने, सामान्य आरेखण को मंजूरी देने, भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण हटाने, अतिलंघनकारी जनोपयोगिताओं को स्थानांतरित करने, विभिन्न प्राधिकरणों से वैधानिक मंजूरी, परियोजना/कार्य स्थलों के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण विशेष परियोजना/क्षेत्र के लिए एक वर्ष में कार्य मौसम की अवधि आदि के लिए सहमति देने में राज्य सरकारों का सहयोग। ये सभी कारक परियोजनाओं/कार्यों के पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं।
